भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(ईपीडब्ल्यू प्रभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 16 अक्तूबर, 2019

विषय: डिपो अधीक्षक पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन संबंधी जन सूचना।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा.सं. एबी.14017/61/2008-स्था.(आरआर) के अनुपालन में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत मेडिकल स्टोर संगठन के अधीन सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो में डिपो अधीक्षक पद के भर्ती नियमों आदि की प्रारूप अधिसूचना संलग्न है।

2. प्रारूप भर्ती नियमों पर कोई आपत्ति / टिप्पणी करने या सुझाव देने के इच्छुक स्टेकहोल्डर, प्रारूप भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर अपने सुझाव अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा नं. 508-डी, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110008 को लिखित रूप में या ई-मेल पते nair.mbr@gov.in पर भेज सकते हैं।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

सुरेन्द्र कश्यप 16/x/19

(सुरेन्द्र कश्यप)
अनुभाग अधिकारी, ईपीडब्ल्यू
टेलीफोन नं: 23061212

नई दिल्ली

दिनांक: 16.10.2019

(भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड–3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय)
(चिकित्सा सामग्री भंडार संगठन)

सा.का.नि. . . . . राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और *"सरकारी चिकित्सा सामग्री भंडार (डिपो अधीक्षक) भर्ती नियम, 1986"* को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, चिकित्सा सामग्री भंडार संगठन, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत सरकारी चिकित्सा सामग्री भंडारों में *डिपो अधीक्षक* के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "सरकारी चिकित्सा सामग्री भंडार संगठन (*डिपो अधीक्षक*) **भर्ती नियम,** 2019 है।
   (ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान**– पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण और उससे संबद्ध वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं** – उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, वर्गीकरण और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हता**: वह व्यक्ति-
   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

5. **शिथिल करने की शक्ति**: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति** : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय –समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

टिप्पणी: मूल नियम जी.एस.आर........(ई) दिनांक ....को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

अनुलग्नक-I

अनुसूची

चिकित्सा सामग्री भंडार संगठन, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत सरकारी चिकित्सा सामग्री भंडारों में सहायक डिपो प्रबंधक के पद पर भर्ती

1.	(क) पद का नाम :	डिपो अधीक्षक
2.	(ख) मंत्रालय/विभाग का नाम	सरकारी चिकित्सा भंडार डिपो (चिकित्सा भंडार संगठन) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली
3.	संदर्भ संख्या जिसमे कमीशन ने भर्ती नियम पर सलाह दी है।	लागू नहीं
4.	मूल नियमों तथा संशोधन की अधिसूचना की तिथि (मूल नियमों तथा संशोधन की अधिसूचना की तिथि की प्रति भलीभाँति संलग्न, फ्लेग किए हुए तथा संदर्भित होने चाहिए)	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय अधिसूचना संख्या ए-12018/2/78 ई-आई (डीएमएस व पीएफ़ए) दिनांक 5.3.1984 संलग्न है।

क्रम संख्या	संख्या	*पूर्व अधिसूचना*	*प्रस्तावित बदलाव*	*बदलाव का कारण*
1)	पद का नाम	1. कार्यालय अधीक्षक 2. डिपो अधीक्षक (वरिष्ठ डिपो अधीक्षक से अद्यतन (आईडबल्यूएसयू प्रति संलग्न) 3. सहायक डिपो अधीक्षक से अद्यतन (आईडबल्यूएसयू प्रति संलग्न)	*डिपो अधीक्षक*	*यह पद 5000-8000 तथा 5500-9000 के पूर्व संशोधित स्केल में था ।* *केंद्रीय सिविल सेवा संशोधित वेतन नियम 2008 के खंड ख, धारा 1, पेरा (II)की अनुपलना में/ एमएसओ के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से छठे वेतन आयोग की अनुशंसा से कथित विलय तथा पुनः पदनाम 25.2.2011 से लागू हुए। इन पदो का विलय किया गया तथा डिपो* अधीक्षक के रूप में पुनः पद नामित किया गया। कथित कार्यकारी आदेश की प्रति अलग से (अनुलग्नक -क) के रूप में संलग्न है। दिनांक 24.3.2009 के डीओपीटी के कार्यालय आदेश संख्या 14017/61/2008-स्था(आरआर) के पेरा II के अनुसार प्रस्तावित आरआर में बदलाव किए गए है।
2)	पदों की संख्या	74* (कार्यालय अधीक्षक) (7) + डिपो अधीक्षक**(27) + सहायक डिपो अधीक्षक**(40)##** (आईडबल्यूएसयू द्वारा वरिष्ठ डिपो अधीक्षक से अद्यतित) ## आईडबल्यूएसयू द्वारा डिपो अधीक्षक से अद्यतित)	69(2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	5 मानित पदों को खत्म करने कारण डिपो अधीक्षक के पद में विलय करने के कारण कुल संख्या बदलाव हुआ।
3)	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' (अराजपत्रित, अननुसचिवीय)	डीओपीटी ओएम सं. 11012/72008-स्था(ए) दिनांक 174/2009 तथा वएसओ 946 (ई) दिनांक 9/4/2009
4)	वेतनमान ग्रेड वेतन/	1. रु550-20650-25-750	पीबी-2 रु 9,900-34800 के साथ 4200 ग्रेड वेतन	6वें

	वेतन स्तर	2. आईडबल्यूएसबी द्वारा अद्यतन के बाद पूर्व संशोधित रु 455-15560-ईबी-20-700 (5500-9000) 3. आईडबल्यूएसबी द्वारा अद्यतन के बाद पूर्व संशोधित रु 425-15560एब-20640 (5000-8000)	(6वे सीपीसी के अनुसार) स्तर 6(7वें सीपीसी के अनुसार)	सीपीसी/सीसीएस(आरपी) 2008- की अनुशंसा के अनुसार 7वें सीपीसी/सीसीएस(आरपी) 2016- की अनुशंसा केअनुसार
5)	चयन पद है अथवा गैर-चयन पद	अचयन/चयन	चयन	यह चयन समूह ग से समूह ख से पदोन्नति के लिए दिनांक 31 मार्च 2015 के डीओपीटी ओएम संख्या 14017/13/2013-स्था(आरआर) के अनुसार।
6)	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	I. लागू नहीं II. 21-30 वर्ष III. 18-25 वर्ष	18-30 वर्ष	प्रशानिक आवश्यकता तथा अस्थिरता के कारण।
7)	सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	i) रसायन के साथ बीएससी अथवा भंडार को संभालने के दो वर्ष का अनुभव के साथ फार्मेसी में स्नातक	लागू नहीं	फीडर कादर में 75% यूडीसी से व 25 % पीसीसी/स्टेनो/कोंपटिस्ट के अनुपात मे केवल सीधी भर्ती द्वारा पदोन्नति।
8)	क्या पदोन्नति के मामले में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु संबंधी एवं शैक्षिक अर्हताएं लागू होंगी	नहीं	नहीं	कोई बदलाव नहीं
9)	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	दो वर्ष	दो वर्ष	कोई बदलाव नहीं जैसा कि समूह ग से समूह ख (अराजपत्रित) प्रोन्नति होगी।
10)	भर्ती की पद्धति अर्थात सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	100 % पदोन्नति द्वारा, पदो के प्रतिशत को 75 %:25% को चिन्हित किया गया है। जोकि प्रवर श्रेणी लिपिक व फार्माशिष्ट-सह लिपिक/आशुलिपिक /कम्प्युटर क्रमशः प्रवर श्रेणी लिपिक के लिए 75% तथा फार्माशिष्ट-सह लिपिक/आशुलिपिक /कम्प्युटर 25% है।	100 % पदोन्नति द्वारा, पदो के प्रतिशत को 75 %:25% को चिन्हित किया गया है। जोकि प्रवर श्रेणी लिपिक व फार्माशिष्ट-सह लिपिक/आशुलिपिक /कम्प्युटर क्रमशः प्रवर श्रेणी लिपिक के लिए 75% के साथ 10 वर्ष सेवा तथा फार्माशिष्ट-सह लिपिक/आशुलिपिक /कम्प्युटर 25% के लिए 6 वर्ष सेवा थी।	डिपो अधीक्षक के लिए 69 पद। पदो की संख्या फीडर काडर में 134 थी। जीएमएसडी मद्रास में यूडीसी श्री अब्दुल मालिक द्वारा दायर ओए संख्या 1995 की 190 में माननीय कैट मद्रास बैंच के निर्णय के अनुसार प्रतिशत प्रस्तावित किया गया है। फीडर काडर में प्रोन्नति के लिए सेवा काल की संख्या डीओपीटी के ओएम संख्या एबी 14017/61/2008-स्था(आरआर) दिनांक 24 मार्च 2009 के अनुसार है।
11)	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति /स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति /प्रतिनियुक्ति/स्थानांत रण किया जाना है	1. डिपो अधीक्षक के ग्रेड में 3 वर्ष नियमित सेवा जिसके न होने पर डिपो अधीक्षक के ग्रेड में 5 वर्ष डिपो अधीक्षक या सहायक डिपो अधीक्षक सयुंक्त नियमित सेवा । 2. सहायक डिपो अधीक्षक * के ग्रेड में 3 वर्ष नियमित सेवा 3. प्रवर श्रेणी लिपिक /फर्माशिष्ट सह लिपिक	समूह ग से समूह ख ।	सहायक डिपो अधीक्षक का पद डिपो अधीक्षक के पद में अपग्रेड किया गया है (पूर्व संशोधित वेतनमान 5000-8000)। कथित पद का फीडर

		के ग्रेड में 5 वर्ष नियमित सेवा पदो का प्रतिशत प्रवर श्रेणी लिपिक व फार्माशिष्ट-सह लिपिक/आशुलिपिक /कम्प्युटर क्रमश: प्रवर श्रेणी लिपिक के लिए 75% तथा फार्माशिष्ट-सह लिपिक/आशुलिपिक /कम्प्युटर 25% है।		काडर नए स्रजित पद के मिलाये जाने पर वही रहेगा। जैसा कि डिपो अधीक्षक (5500-8000) व वरिष्ठ डिपो अधीक्षक (5500-9000) को पीबी-2 के साथ जीपी 4200 में डिपो अधीक्षक के पद का विलय किया गया है।
12)	यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद हो, तो उसकी संरचना	समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी। (1) सहायक उप महानिदेशक (चिकित्सा भंडार)/डिपो प्रबन्धक - अध्यक्ष (2) लेखा अधिकारी - सदस्य (3) सहायक डिपो प्रबन्धक - सदस्य (4) स्टेशन पर स्थित किसी केंद सरकार कार्यालय से संबन्धित अधिकारी -सदस्य	समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी। (1) सहायक उप महानिदेशक (चिकित्सा भंडार)/डिपो प्रबन्धक - अध्यक्ष (2) लेखा अधिकारी - सदस्य (3) सहायक डिपो प्रबन्धक - सदस्य (4) स्टेशन पर स्थित किसी केंद सरकार कार्यालय से संबन्धित अधिकारी -सदस्य	डीपीसी की
13)	वे परिस्थितियां जिनमें संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना हो	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

फाइल सं.ए-12018/7/2014/स्टोर-।

प्रस्ताव प्रेषित करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

अनुसूची

चिकित्सा सामग्री भंडार संगठन, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत सरकारी चिकित्सा सामग्री भंडारों में सहायक डिपो प्रबंधक के पद पर भर्ती

1.	पद का नाम	डिपो अधीक्षक
2.	पदों की संख्या	69 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
3.	वर्गीकरण	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय
4.	वेतनमान ग्रेड वेतन/ वेतन स्तर	पीबी -2 रु 9300-34800 के साथ 4200/स्तर 6 (7 सीपीसी)
5.	चयन पद है अथवा गैर-चयन पद	चयन
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	लागू नहीं । 100% प्रोन्नति पद
7.	सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	लागू नहीं । 100% प्रोन्नति पद
8.	क्या पदोन्नति के मामले में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु संबंधी एवं शैक्षिक अर्हताएं लागू होंगी	लागू नहीं । 100% प्रोन्नति पद
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति अर्थात सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	100 % पदोन्नति द्वारा, पदो के प्रतिशत को 75 %:25% को चिन्हित किया गया है। जोकि प्रवर श्रेणी लिपिक व फार्माशिष्ट-सह लिपिक/आशुलिपिक /कम्प्युटर क्रमशः प्रवर श्रेणी लिपिक के लिए 75% तथा फार्माशिष्ट-सह लिपिक/आशुलिपिक /कम्प्युटर 25% है।
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति /प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाना है	समूह ग से समूह ख 1. प्रवर श्रेणी लिपिक के लिए 75% के साथ 10 वर्ष सेवा तथा 2. फार्माशिष्ट-सह लिपिक/आशुलिपिक /कम्प्युटर 25% के लिए 6 वर्ष सेवा। डीओपीटी के ओएम संख्या एबी 14017/61/2008-स्था(आरआर) दिनांक 24 मार्च 2009 के अनुसार है।
12.	यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद हो, तो उसकी संरचना	समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी। (1) सहायक उप महानिदेशक (चिकित्सा भंडार)/डिपो प्रबन्धक -अध्यक्ष (2) लेखा अधिकारी - सदस्य (3) सहायक डिपो प्रबन्धक - सदस्य (4) स्टेशन पर स्थित किसी केंद सरकार कार्यालय से संबन्धित अधिकारी -सदस्य कार्रवाई को अनुमोदन के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय भेजा जाएगा।
13)	वे परिस्थितियां जिनमें संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना हो	लागू नहीं